राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर–302015

(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांकः– एफ.3 (ख) (एम–53आर/94)/अलेसे–II/ 2333–37 **दिनांकः–** 26.12.18

अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा अभियान,
हनुमानगढ़।

विषयः– इस विभागीय आदेश संख्या 99/2018–19 दिनांक 20.12.2018 के क्रम में श्री मोहन लाल वाधवानी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II को कार्यग्रहण कराने बाबत्।

प्रसंगः– आपका पत्र दिनांक 24.12.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस निदेशालय के आदेश संख्या 99/2018–19 दिनांक 20.12.2018 द्वारा श्री मोहन लाल वाधवानी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II का आपके यहां रिक्त/ नवसृजित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के पद पर पदस्थापन किया गया है, किन्तु आप द्वारा उक्त पद पर श्री भवानी शंकर शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II को कार्यरत बताया गया है। इस संबंध में लेख है कि लेखाकर्मियों के पदस्थापन हेतु केवल यह निदेशालय ही सक्षम है। श्री भवानी शंकर शर्मा को इस विभाग द्वारा उक्त पद पर पदस्थापित नहीं किया गया है। अतः श्री शर्मा को उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत नहीं माना जा सकता है।

अतः श्री मोहन लाल वाधवानी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II को पुनः भिजवाकर लेख है कि इस निदेशालय के आदेश संख्या 99/2018–19 दिनांक 20.12.2018 के क्रम में श्री वाधवानी को कार्यग्रहण कराकर इस निदेशालय को अवगत करावें तथा श्री भवानी शंकर शर्मा को अग्रिम पदस्थापन हेतु कार्यमुक्त कर इस निदेशालय को भिजवायें।

भवदीय

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)

क्रमांकः– एफ.3 (ख) (एम–53आर/94)/अलेसे–II/ 2333–37 **दिनांकः–** 26.12.18

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर।
3. श्री मोहन लाल वाधवानी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II को प्रेषित कर लेख है कि अविलम्ब कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, हनुमानगढ़ में कार्यग्रहण कर निदेशालय को सूचित करें।
4. **श्री भवानी शंकर शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, हनुमानगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वे अविलम्ब कार्यमुक्त होकर अग्रिम पदस्थापन हेतु अपनी उपस्थिति इस निदेशालय में प्रस्तुत करें अन्यथा आपके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।**
5. कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)

E:\Sis II\Verma ji\ Simple letter